971
31/1/19

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
:: ***संकल्प*** ::

कृपया पढ़े :–

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–409, दिनांक–06.02.2017
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–3798, दिनांक 21.03.2017 एवं पत्रांक–7582, दिनांक 28.06.2017
3. उपायुक्त, कोडरमा का पत्रांक–1657/अभि0, दिनांक 30.12.2017

श्री रूद्र प्रताप, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला–पलामू), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जयनगर, कोडरमा के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–409, दिनांक–06.02.2017 द्वारा मनरेगा योजना अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में लापरवाही बरतने संबंधी आरोप प्रपत्र– 'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–3798, दिनांक 21.03.2017 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री प्रताप ने पत्रांक–667, दिनांक 03.06.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री प्रताप के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–7582, दिनांक 28.06.2017 द्वारा उपायुक्त, कोडरमा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक–1657/अभि0, दिनांक 30.12.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री प्रताप के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, कोडरमा के मंतव्य के समीक्षोपरान्त श्री रूद्र प्रताप, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जयनगर, कोडरमा के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–14(i) के तहत् **"निन्दन"** का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रूद्र प्रताप, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

29/01/19
(अशोक कुमार खेतान)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–21/2017 का०– 971 /राँची, दिनांक 31 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अपर मुख्य सचिव कोषांग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, कोडरमा/उपायुक्त, गोड्डा/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री रूद्र प्रताप, झा0प्र0से0, झा0प्र0से0, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पथरगामा, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/01/19

सरकार के संयुक्त सचिव।